

मु.न. 25/22 रतनी/नन्दू

तलबी हेतु और समय-चाहा। न्यायालय में एक
और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17-4-25
को पेश होगी।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

17-4-25 बार पत्नी, रतनी
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
5-6-25 को पेश हो।

5-6-25. पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उप.
प्रति-सं. 23 की तलबी हेतु और समय-
चाहा। तलबी दिया जाकर पत्रावली
दिनांक 17-7-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

17-7-25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उप.
प्रतिवादी सं. 23 की तलबी में पत्रावली
दिनांक 17-2-23 से लंबित है, जिसे काफी
समय व्यतीत हो चुका है, इसके बावजूद
वकील वादी द्वारा सम्मन तलबना पेश
नहीं किया गया है। अतः वादी का
वाद अदम अदायगी। तकमील अन्तर्गत
आदेश 9 नियम S.C.P.C. में खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर
नम्बर से कम होगी।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)